



उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-99/2022-23

सरकार

बनाम्

अनुपम कुमार

—: आदेश :-

दिनांक 10/3/23

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला पथरगामा थाना काण्ड संख्या-159/2022 दिनांक-13.10.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक-325/अप0शा0 दिनांक-28.01.2023 से धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17R-6891, ट्रेलर निबंधन संख्या-JH17M-0002 तथा उस पर लदे बालू को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17R-6891, ट्रेलर निबंधन संख्या-JH17M-0002 के मालिक एवं चालक के विरुद्ध अवैध रूप से बालू की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या-02 में इस कांड को धारा-379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17R-6891, ट्रेलर निबंधन संख्या-JH17M-0002, के मालिक एवं चालक के विरुद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17R-6891, ट्रेलर निबंधन संख्या-JH17M-0002, के मालिक अनुपम कुमार, पे0-कपिलदेव पंजियारा, सा0+पो0-रामपुर, थाना-पथरगामा, जिला-गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17R-6891, ट्रेलर निबंधन संख्या-JH17M-0002 तथा उस पर लदे बालू के विरुद्ध धारा-379/411/34

भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षीगण को कारण-पृच्छा दायर करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षीगण के द्वारा कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है।

विपक्षी अनुपम कुमार का कथन है कि विपक्षी जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17R-6891, ट्रेलर निबंधन संख्या-JH17M-0002, के मालिक हैं। जप्त वाहन को विपक्षी ऋण पर खरीदा है, जिसे वो स्वयं चलाते हैं। जप्त वाहन विपक्षी का जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है। इसलिए जप्त वाहन को राजसात से विमुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि बालू परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध बालू प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। पथरगामा थाना काण्ड संख्या-159/2022 दिनांक-13.10.2022, भा0द0वि0 की धारा-379/411/34 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर पथरगामा थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17R-6891, ट्रेलर निबंधन संख्या-JH17M-0002, को बालू चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे अवैध बालू के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से बालू चोरी कर परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि एवं पूर्व में

संलिप्तता के आलोक में अतिरिक्त दण्ड के राशि, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

वाहन संख्या	पूर्व में अवैध परिवहन में संलिप्तता की संख्या	खनिज एवं खनिज की मात्रा (CFT)	खनिज का मूल्य	खनिज का दुगुनी राशि	अतिरिक्त दण्ड की राशि	कुल दण्ड की राशि
JH17R-6891	02	100	4000.00	8000.00	100000.00	108000.00

एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध-पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त वाहन ट्रैक्टर निबंधन सं0-JH17R-6891, ट्रेलर निबंधन संख्या-JH17M-0002, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक लाख रू0 का जमानत बंध-पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन एवं उस पर लदे बालू को विमुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।
लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपयुक्त
गोड्डा
10/03/23

उपयुक्त
गोड्डा
10/03/23